न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प कोर्ट बायतु
पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 06/2018

अपीलांटस

1. भैराराम पुत्र मालाराम
2. मुकेश कुमार पुत्र मालाराम
3. हरचंदराम पुत्र मालाराम
4. मेघाराम पुत्र मालाराम
5. भगवानाराम पुत्र मालाराम
6. श्रीमती तुलछी पत्नी मालाराम
   जाति जाट निवासी कुम्पलिया
   तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. वेहनाराम पुत्र पेमाराम के
   कायम मुकाम–
   1/1 हरचंदराम पुत्र वेहनाराम
   1/2 खेमाराम पुत्र वेहनाराम
   1/3 गंगाराम पुत्र वेहनाराम
   1/4 कानाराम पुत्र वेहनाराम
2. मोडाराम पुत्र पेमाराम
3. खेताराम पुत्र पेमाराम
4. हरीराम पुत्र पेमाराम
5. अनाराम पुत्र मगाराम
6. भोलाराम पुत्र मगाराम
7. खेतु पत्नी मगाराम
   जाति जाट निवासी कुम्पलिया
   तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
8. शाखा प्रबंधक
   राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक
   शाखा परेउ
9. तहसीलदार गिड़ा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 16.6.2015 द्वारा तहसीलदार गिड़ा

उपस्थित–
1. अपीलांटस उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं0 1/1 व 02 से 07 उपस्थित।
3. रेस्पोंडेंट सं0 09 तहसीलदार गिडा उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं0 08 अनुपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश

दिनांक 30.5.2018

1. संक्षेप में अपीलान्टस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 हिन्दू विधि से शासित है, जिनकी पैतृक खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1005/611 रकबा 120.10 बीघा सरहद मौजा महादेव का मंदिर पटवार हल्का परेउ तहसील गिड़ा में आई हुई है। रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 07 ने अपीलांटस को

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व किये गये बाहामी बंटवाड़ा अनुसार उक्त आराजी का विभाजन करने व पक्षकारान की पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज करने का प्रस्ताव रखने पर अपीलांटस ने समस्त खसरान की मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा करने हेतु अपनी सहमति दी। रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 07 ने हल्का पटवारी को प्रभावित कर विभाजन हेतु पूर्व में तैयार नक्शों को बदलते हुए अपीलांटस व रेस्पोडेंटस द्वारा नक्शे पर किये गये हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान पर दोबारा रेस्पोडेंटस के कहे अनुसार हल्का पटवारी ने नक्शा तैयार कर प्रस्ताव तहसीलदार गिड़ा के समक्ष पेश कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.2015 पारित करवाया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार के तहत राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांटस उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट सं0 1/1 व 02 से 07 उपस्थित एवं रेस्पोंडेंट सं0 09 तहसीलदार गिडा उपस्थित हुए। रेस्पोंडेंट संख्या 08 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे।

3. हमने दोनों पक्षो को सुना। अपीलांटस ने लिखित में आवेदन पेश कर जाहिर किया कि हल्का पटवारी व आर.आई. मौके पर नहीं आये, गलत तरीके से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। अपीलांटस के टांका, ढाणीयॉ एवं उपजाउ भूमि रेस्पोडेंटस के खाते में चले गये। बंटवाडे में अपीलांटस को सड़क पर भूमि नहीं दी एवं आने–जाने का रास्ता रोक दिया गया हैं। अपीलांटस को वादग्रस्त भूमि दो टुकड़ो में दी गई है, जबकि अपीलांटस का मौके पर एक चक के रूप में कब्जा काश्त है। पूर्व में हुए बाहामी बंटवाड़े के अनुसार विभाजन नहीं होने तथा मौके पर भौतिक स्थिति के अनुरूप विविध बंटवाड़ा नहीं होने से तहसीलदार गिड़ा द्वारा किया गया बंटवाड़ा आदेश खारिज किये जाने योग्य है। सर्वप्रथम अपीलान्टस को इस विभाजन आदेश

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

का दिनांक 10.01.2018 को वास्तविक ज्ञान हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की है।

4. रेस्पोडेंट सं0 1/1 व 02 से 07 द्वारा लिखित में आवेदन पेश कर जाहिर किया कि जमीन का विभाजन 16.6.2015 को सर्वसम्मति से किया गया था। हम सभी पक्षकारान ने मिलजुल कर सोच समझ कर बंटवाड़ा करवाया था, मौके पर जो जिस भूमि पर काश्त करते थे उसी हिसाब से बंटवाडा किया गया हैं। बंटवाड़े में किसी ढाणी या किसी की अचल सम्पत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। सम्बन्धित पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर जाकर बंटवाड़ा अनुसार नक्शे मे रंग भरा। सभी पक्षकारो के घरो को जोड़ने के लिए मौके पर दोल साल पहले नरेगा में एक किलोमीटर ग्रेवल सड़क बनी थी। सड़क की लम्बाई एक किलोमीटर होने से सभी पक्षकारान के घर जुड़ नहीं पाये। भैराराम वगैरा के घरसे 100 मीटर दूरी पर ग्रेवल सड़क है। आम रास्ता चालु हैं। पूर्व में किया गया बंटवाड़ा सही होने से अपीलांटस की अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

5. हमने अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस सं0 1/1 व 02 से 07 के कथनो पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.6.2015 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 की पैतृत खातेदारी खेत खसरा नंबर 1005/611 रकबा 120.10 बीघा सरहद मौजा महादेव का मंदिर पटवार हल्का परेउ तहसील गिड़ा में आई हुई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 07 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार गिड़ा के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा में दर्शाये अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिड़ा ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटस नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6..2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार गिड़ा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश कोर्ट केम्प बायतु में दिनांक 30.5.2018 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)